बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

सं0सं0-स0क0निग0-03/2024-............./श्रीमती पूनम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सन्हौला, भागलपुर सम्प्रति खगडिया सदर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-894 दिनांक-18.04.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया था। जिसे निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय के पत्रांक-551 दिनांक-24.01.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई।

उक्त आरोप पत्र में श्रीमती कुमारी के विरुद्ध ग्राम पंचायत- धुआवें के वार्ड सं०-10 के लिए चयनित आंगनबाड़ी सेविका श्रीमती पूनम कुमारी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराने, निजी स्वार्थवश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश ज्ञापांक-1255 दिनांक-06.11.2018 की अवहेलना कर अमान्य बोर्ड से उर्त्तीण अभ्यर्थी का चयन सेविका के पद पर करने, श्री दिवाकर यादव, अधिवक्ता द्वारा मामला संज्ञान में लाने के बावजूद भी वर्षों तक मामले को दबाए रखने व कोई कार्रवाई नही करने, CWJC No.-4082/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-05.07.2021 को पारित आदेश में इन्हें दोषी पाये जाने, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिलने के उपरांत इन्हें दोषी के रूप में चिन्हित किये जाने, निजी स्वार्थ में अमान्य बोर्ड से निर्गत गलत तरीके से योग्य आवेदिका को दर-किनार कर अयोग्य व्यक्ति का चयन करने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय से प्राप्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत अवचार या कदाचार के लांछनों के आधार पर विहित प्रपत्र में गठित आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए विभागीय पत्रांक-817, दिनांक-13.02.2024 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग किये जाने पर इनके पत्रांक-69, दिनांक-27.02.2024 से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2159, दिनांक-06.05.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-16 एवं 17 के अंतर्गत श्रीमती कुमारी के विरूद्ध उक्त आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। जिसमें श्रीमती कुमारी के विरूद्ध इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत सुश्री पिंकी कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-2, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इसी क्रम में प्रशाखा पदाधिकारी-02 की सेवा समाप्त हो जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या-1948, दिनांक-19.03.2025 द्वारा श्री सुशील कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-5558, दिनांक-18.07.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या- 01 एवं 04 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02, 03 एवं 05 में इन्हें दोषी नहीं माना गया। प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक-6003, दिनांक-11.08.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन की मांग किये जाने पर इनके द्वारा अपने पत्रांक-240, दिनांक-06.09.2025 के माध्यम से लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोप, जाँच पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन में दिया गया निष्कर्ष एवं प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा निजी स्वार्थ के लिए भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन किया गया है। उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध चेतावनी एवं तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती पूनम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सन्हौला, भागलपुर, सम्प्रति खगडिया सदर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत चेतावनी एवं तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापाक स0क० निग0-55/2023- 2578 पटना-15 दिनाक :- 27.5.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी के साथ राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापाक स0क० निग0-55/2023- 2578 पटना-15 दिनाक :- 27.5.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/ मुंगेर/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/ खगडिया, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भागलपुर/ खगडिया, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई० टी० मैनेजर (अपलोड हेतु), श्रीमती पूनम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सन्हौला, भागलपुर सम्प्रति खगडिया सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।